भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार
वर्ष 2015

केंद्रीय हिंदी निदेशालय,उच्चतर शिक्षा विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रतिवर्ष एक-एक लाख रुपये के उन्नीस पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

1. <u>पात्रता एवं शर्तें</u>

I) पुस्तक निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए:-

(क) सृजनात्मक साहित्य,कथा साहित्य, नाटक संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, काव्य एवं समीक्षा से संबंधित उत्कृष्ट, मौलिक तथा चिंतनपरक कृतियां ।

(ख) क्षेत्रीय संस्कृति, ललित कला एवं मानविकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित मौलिक कृतियाँ ।

(ग) भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रंथों का हिंदी अनुवाद ।

II) शोध प्रबंध/लघु शोध प्रबंध तथा पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

III) ऐसे लेखक जिनकी मातृभाषा हिंदी को छोडकर अन्य कोई भारतीय भाषा हो और जो देश के किसी हिंदीतर भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश में रह रहे हों, अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।

IV) जो लेखक 15 वर्ष या इससे अधिक समय तक किसी हिंदी भाषी राज्य/ संघ शासित प्रदेश में कभी भी रहें हों/रह रहें हों, इस योजना में भाग लेने के पात्र नही हैं।

V) योजना के अंतर्गत वर्ष2010 से 2014 के बीच प्रकाशित कृतियां ही विचारणीय होंगी।

VI) पुस्तक कम से कम सौ पृष्ठों की होनी अनिवार्य है।

VII) योजना के तहत इससे पूर्व पुरस्कृत हो चुके लेखकों की कृतियां विचारणीय नही होंगी ।

VIII) भारत सरकार अथवा इसके द्वारा पोषित उपक्रमों संस्थाओं, राज्य सरकारों अथवा व्यावसायिक संस्थाओं/संगठनों द्वारा पुरस्कृत कोई कृति विचारणीय नहीं होगीं ।

IX) केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

पुस्तक की पांच प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के साथ ही भेजी जांए,जिसे निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पुस्तके वापस नहीं की जा सकेंगी ।

प्रविष्टियां दिनांक 27.08.2015 तक डाक द्वारा अथवा दस्ती तौर पर अधोलिखित पते पर पहुँच जानी चाहिए:-

सहायक निदेशक (पुरस्कार)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम्
नई दिल्ली-110066
फोन नं. 011-26105211/एक्स-234/236

अधिक जानकारी के लिए निदेशालय की वेबसाइट <u>www.hindinideshalayanic.in</u> देखी जा सकती है।

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

1. पुस्तक का शीर्षक ----------
   (मूल या अनूदित)
2. अनुवाद की स्थिति में ------------
   मूल रचना की भाषा एवं लेखक का नाम----------
   मूल लेखक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें -------
3. क्या कृति पहले से पुरस्कृत है ? यदि हाँ तो

I पुरस्कृत करने वाली संस्था का नाम--------------

II पुरस्कार राशि एवं वर्ष -------------------

III क्या लेखक केंद्रीय हिंदी निदेशालय से पुरस्कृत है -------------
(वर्ष तथा कृति का उल्लेख करें)-------------

4. पुस्तक के प्रथम संस्करण का वर्ष एवं पृष्ठ संख्या -------------
5. पुस्तक की साहित्यिक विधा (कथा,उपन्यास, काव्य इत्यादि)---------
6. लेखक /अनुवादक का पूरा नाम ------
7. लेखक/अनुवादक की मातृभाषा तथा---------------
   निवास के राज्य का नाम तथा निवास की अवधि-----------

8. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं यदि हाँ तो कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
9. पिता/पति कानाम-------------
10. जन्म तिथि एवं जन्म स्थान -----------
11. वर्तमान पता (फोन नं. तथा ई -मेल सहित)-----------
12. स्थायी पता -----------
13. लेखक/अनुवादक का संक्षिप्त जीवन परिचय (अलग से संलग्न करें)---------------------
14. मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करती हूँ/करते हैं कि :-

(क) मेरी मातृभाषा--है ।

(ख) मैं आज तक कभी भी हिंदी भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश में 15 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि तक न तो रहा/रही हूँ और न ही रह रहा /रही हूँ ।

(ग) मेरी यह पुस्तक कभी केंद्र सरकार/किसी राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा पोषित उपक्रम/संस्थानों अथवा किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा पुरस्कृत नहीं हैं।

(घ) प्रस्तुत कृति का कापीराइट मेरे पास है अथवा कापीराइट धारक श्री --------------------- से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया है। (जो लागू न हो उसे काट दें ।)

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णत: सत्य है।

लेखक /लेखकों के हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-